रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265875
CG-DL-E-02092025-265875

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3877] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2025/भाद्र 10, 1947
No. 3877] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2025/BHADRA 10, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

का.आ. 3982(अ).—केंद्रीय सरकार, तटीय जल कृषि प्राधिकरण नियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के खंड (ढ) के साथ पठित, तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 3 के अनुसरण में, तटीय जलकृषि में लाइव फीड कल्चर इकाइयों के विनियमन और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन दिशानिर्देशों का संक्षिप्त नाम तटीय जलकृषि में लाइव फीड कल्चर इकाइयाँ और प्रबंधन दिशानिर्देश, 2025 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **लाइव फीड इकाइयों के लिए आवेदन मानदंड.-** (1) लाइव फीड इकाईयां जो लाइव फीड के उत्पादन में कार्यरत या कार्य करने के आशयित, जिनके पास इन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक जैव सुरक्षा सुविधाएं और आंतरिक संगरोध सुविधा है, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार तटीय जलकृषि इकाईयों के लिए लाइव फीड का उत्पादन और विक्रय करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

(2) इकाई प्रचालक उक्त नियमों के विहित प्ररूप 2 में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें उक्त नियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज सम्यक रूप से संलग्न होंगे तथा उक्त नियमों के नियम 9 में विहित प्रक्रिया के अनुसार लाइव फीड इकाई के रजिस्ट्रीकरण के लिए दस हजार रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करना होगा।

(3) आवेदन के साथ अवसंरचना, जैव-सुरक्षा उपायों, उत्पादन क्षमता, प्रौद्योगिकी सहायता, रोजगार सृजन, प्रचालन की अर्थव्यवस्था आदि को उपदर्शित करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(4) लाइव फीड उत्पादन के लिए इकाई का अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा उक्त नियमों के नियम 11 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा गठित टीम द्वारा इकाई के सम्यक् निरीक्षण के पश्चात दिया जाएगा।

3. **उपयुक्त लाइव फीड का चयन.-** (1) फाइटोप्लांकटन (सूक्ष्म शैवाल की विभिन्न प्रजातियां), जूप्लांकटन (रोटिफर्स, आर्टेमिया, कोपपोड्स, एम्फिपोड्स) और पॉलीचेट वोर्म्स को लाइव फीड के रूप में माना जा सकेगा।

(2) प्रजातियों की पहचान वैज्ञानिक रूप से रूपात्मक और आणविक औजार द्वारा मानक प्रक्रिया का उपयोग करके की जाएगी और उसका अभिलेख बनाए रखा जाएगा।

(3) कैंडिडैट प्रजातियों के आकार और पोषण संबंधी अपेक्षाओं के सदृश होने वाले लाइव फीड को उसके विभिन्न जीवन चरणों के लिए चुना जाएगा।

4. **स्थल चयन.-** (1) लाइव फीड इकाइयों को अधिमानतः हैचरी या कृषि स्थलों के निकट स्थापित किया जाएगा और जैव-सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अन्य उत्पादन सुविधाओं से पृथक रखा जाएगा।

(2) जहां लाइव फीड इकाइयां अलग-अलग अवस्थानों पर स्थित हैं, वहां रोगजनकों के प्रवेश और क्रॉस संदूषण से बचने के लिए सावधानी बरती जाएगी।

(3) पर्याप्त क्वालिटी वाला जल उपलब्ध होगा और मापदंड तटीय जलकृषि के विनियमन के लिए का.आ. 1496 (अ), तारीख 20 मार्च, 2024 के लिए अधिसूचित दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 के अनुसार बनाए रखे जाएंगे।

5. **लाइव फीड कल्चर इकाइयों के लिए अपेक्षाएं .-** (1) लाइव फीड कल्चर के लिए फाइबर प्रबलित प्लास्टिक सीमेंट या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट या कांच या प्लास्टिक या उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन या पॉलीइथिलीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने कल्चर टैंक या आधानों या कार्बोय या फ्लास्क का उपयोग किया जाएगा।

(2) सूक्ष्म शैवाल के लिए भीतरी, मध्यवर्ती और बाहरी कल्चर इकाइयां बनाई जाएंगी।

(3) शुद्ध स्टॉक बनाए रखने के लिए लाइव फीड के लिए स्टॉक कल्चर कक्ष बनाया जाएगा।

(4) क्रॉस-संदूषण (जैसे सूक्ष्म शैवाल और रोटिफ़र्स) से बचने के लिए अलग-अलग कल्चर इकाइयाँ बनाई जाएंगी।

(5) लाइव फीड की वृद्धि को अनुकूलतम बनाने के लिए उचित वातन, तापमान नियंत्रण और प्रकाश की स्थिति बनाई जाएगी।

6. **जल क्वालिटी प्रबंधन.-** (1) तटीय जलकृषि का विनियमन करने के लिए दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 के अनुसार इष्टतम स्तरों के लिए तापमान, पीएच, लवणता और घुलित ऑक्सीजन सहित जल क्वालिटी मापदंडों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

(2) लाइव फीड कल्चर के लिए उपयोग किए जाने वाले जल को रेत निस्पंदन, कारतूस निस्पंदन और पराबैंगनी निस्पंदन का उपयोग करके उचित रूप से उपचारित या निस्पंदित किया जाएगा।

(3) निस्पंदक किए गए जल को भीतरी या स्टॉक कल्चर के लिए रोगाणुरहित, ओजोनीकृत और डी-ओजोनीकृत किया जाएगा।

7. **लाइव फीड इकाइयों के लिए जल निर्वहन प्रोटोकॉल.-** (1) बाहरी इकाइयों से किसी भी दुर्घटनाग्रस्त कल्चर या रोग के प्रकोप के मामले में, जल निकासी प्रणाली में छोड़ने से पहले कल्चर के जल को क्लोरीनयुक्त और विक्लोरीनयुक्त किया जाएगा।

(2) इकाइयां अपशिष्ट जल को सीधे खुले जल निकायों में नहीं छोड़ेंगी।

(3) अपशिष्ट जल को बहिःस्राव उपचार प्रणाली में न्यूनतम दो दिन के लिए रोके रखा जाएगा।

8. **कल्चर की स्थितियाँ.-** (1) लाइव फीड (विशेष रूप से सूक्ष्म शैवाल) की वृद्धि को सहायता प्रदान करने के लिए पोषक तत्वों को आमतौर पर मात्स्यिकी पदधारियों या आईसीएआर/सीएसआईआर/सरकारी संस्थानों के वैज्ञानिकों के परामर्श से पोषक माध्यमों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) मात्स्यिकी पदधारियों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश किए गए पोषक तत्व स्तर हानिकारक सूक्ष्मजीवों की अतिवृद्धि से बचने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या सरकारी संस्थानों में जैव विविधता बनाए रखी जाएगी।

(3) मात्स्यिकी पदधारियों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश किए गए उपयुक्त प्रकाश स्रोत और प्रकाश अवधि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या सरकारी संस्थानों से सूक्ष्म शैवाल या अन्य लाइव फीड की वृद्धि को कल्चर प्रणाली में बढ़ावा देने के लिए सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

(4) सूक्ष्म शैवाल प्रजातियों की विशिष्ट अपेक्षाओं के आधार पर प्रकाश की तीव्रता और अवधि को बनाए रखा जाएगा, जैसा कि मात्स्यिकी पदधारियों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या सरकारी संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश की गई है।

(5) अधिक भीड़भाड़ (विशेष रूप से पॉलीचेट वोर्म्स 0.5 किग्रा/एम2 से अधिक नहीं) को रोकने के लिए मात्स्यिकी पदधारियों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या सरकारी संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश किए गए लाइव फीड का उचित भंडारण घनत्व बनाए रखा जाएगा।

(6) उक्त नियमों के नियम 18 के उपनियम (1) (ग) के अधीन विहित प्रतिषिद्ध औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ और रोगाणुरोधी कर्मकों का उत्पादन प्रणाली में उपयोग नहीं किया जाएगा।

9. **स्वास्थ्य निगरानी.-** (1) अवांछित जीवों के संदूषण या अतिवृद्धि को नियंत्रित करने के लिए मात्स्यिकी पदधारियों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या सरकारी संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश किए गए लाइव फीड कल्चर के लिए स्वास्थ्य मापदंडों और घनत्व की नियमित निगरानी की जाएगी।

(2) लाइव फीड की क्वालिटी और आकार का निर्धारण करने के लिए सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा।

(3) लाइव फीड इकाई को संभालने के लिए समर्पित तकनीकी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा।

10. **आंतरिक संगरोध सुविधा.-** (1) यान प्राप्ति स्थल पर पहुंचने से पहले हैचरी या लाइव फीड इकाई परिसर में टायर बाथ से गुजरेगा।

(2) सम्पूर्ण माल को आंतरिक संगरोध सुविधा केंद्र पर उतार दिया जाएगा।

(3) उतराई में शामिल सभी कर्मिकों को उतराई से पूर्व और पश्चात् में अपने हाथ, एप्रन, कोट और जूते कीटाणुरहित करना होगा।

(4) संगरोध अनुभाग में संवर्धित लाइव फीड के रखरखाव के लिए पर्याप्त स्थान होगा।

(5) रोगजनकों से संदूषित प्रजातियों का उपयोग कल्चर के लिए नहीं किया जाएगा।

(6) लाइव फीड या वन्य से एकत्रित नमूनों (जैसे सूक्ष्म शैवाल, रोटिफर्स, कोपपोड्स, एम्फिपोड्स और पॉलीचेट वर्म्स) के पृथक्करणों की, आंतरिक संगरोध सुविधा में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा यथासूचीबद्ध रोगजनकों और भारत के लिए चिंताजनक रोगजनकों के लिए जांच की जाएगी।

(7) चूंकि कल्चर में संक्रमण से बचने के लिए विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त पॉलीचेट की सिफारिश की जाती है, इसलिए लाइव फीड के रूप में जलकृषि में उपयोग किए जाने वाले पॉलीचेट को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूचीबद्ध सभी रोगज़नक़ों और भारत के लिए चिंताजनक रोगज़नक़ों से मुक्त होना चाहिए।

(8) नमूने को भारत के लिए चिंताजनक सुसंगत रोगजनकों के परीक्षण के लिए नीलांकराय स्थित जलीय संगरोध सुविधा प्रयोगशाला या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को भेजा जाएगा।

(9) किसी भी सुसगंत रोगजनक का पता चलने की स्थिति में, नमूने को विधिमान्यकरण या पुष्टि के लिए रेफरल प्रयोगशाला के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान को भेजा जाएगा।

(10) पुष्टि होने की स्थिति में, इकाई प्रचालक संक्रमित स्टॉक को नष्ट कर देगा तथा प्राधिकरण को सूचित करते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उसे जला देगा।

11. क्वालिटी नियंत्रण और जैव सुरक्षा.- (1) लाइव फीड की क्वालिटी, उनकी पोषण सामग्री के लिए नियमित रूप से परीक्षण करके, अपेक्षा कल्चर स्थितियों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।

(2) लाइव फीड को हार्वेस्ट के बीच उनकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए उचित रूप से संग्रहीत किया जाएगा।

(3) लाइव फीड कल्चर प्रणाली के लिए जैव सुरक्षा का क्रियान्वयन मात्स्यिकी पदधारियों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या सरकारी संस्थानों के वैज्ञानिकों के परामर्श से किया जाएगा।

12. हार्वेस्टिंग तकनीक.- (1) लाइव फीड को नुकसान पहुंचाने या स्ट्रेस्सिंग से बचाने के लिए हार्वेस्टिंग की सरल पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए।

(2) लाइव फीड को विकास के उपयुक्त चरण पर हार्वेस्ट किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विभिन्न जीवन चरणों की कैंडीडेट प्रजातियों के लिए पोषण की दृष्टि से उपयुक्त हैं।

(3) लाइव फीड उत्पाद तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत हैचरी या इकाइयों और सरकार द्वारा अनुमोदित इकाइयों को ही विक्रीत किया जाएगा।

13. अभिलेखों का रखरखाव.- (1) इकाई प्रचालक लाइव फीड की खरीद या आयात, भंडारण घनत्व, जल क्वालिटी मापदंड, फीड मात्रा, स्वास्थ्य प्रबंधन, विकास मापदंड, प्रयुक्त इनपुट, हार्वेस्ट और विपणन ब्यौरे आदि का रिकार्ड रखेंगे तथा इन दिशानिर्देशों के प्ररूप ढ-1 में प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाने वाली अपनी त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट में इनका उल्लेख करेंगे।

(2) इकाई प्रचालक प्राधिकृत कार्मिक या पदधारी द्वारा मांगे जाने पर अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

14. उल्लंघन के लिए शास्ति.- यदि प्राधिकरण के निरीक्षण दल द्वारा इकाईयों के निरीक्षण के दौरान कोई अप्राधिकृत लाइव फीड उत्पादन या कोई अन्य कार्यकलाप पाया जाता है, तो निरीक्षण दल उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन यथाविहित शास्ति अधिरोपित करने सहित स्टॉक को अधिहरण, निपटान या नष्ट कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

प्ररूप ढ-1

[पैराग्राफ 13(1) देखें]

लाइव फ़ीड इकाइयों से त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट का रूपविधान:

रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात:-

1. इकाई का नाम और पता
2. रजिस्ट्रीकरण और आयात संबंधी अनुज्ञा प्रमाण पत्र की तारीख और संख्या
3. शुद्ध/खरीदे गए/आयातित स्टॉक कल्चर का स्रोत
4. शुद्ध /खरीदे गए / आयातित स्टॉक कल्चर की मात्रा (एमएल/एलटी/किलोग्राम/ग्राम/एमटी)
5. परिवहन मृत्यु दर (%)
6. संगरोध मृत्यु दर (%)
7. चक्रों/बैचों की कुल संख्या

8. उत्पादित शुद्ध/स्टॉक कल्चर की कुल मात्रा (एमएल/एलटी/किलोग्राम/ग्राम/एमटी)

9. साधारण जलीय स्वास्थ्य निगरानी और किसी भी असामान्य मृत्यु दर/न्यून-उत्पादन पर रिपोर्ट

10. विक्रीत शुद्ध/स्टॉक कल्चर की कुल मात्रा (एमएल/एलटी/किलोग्राम/ग्राम/एमटी)

11. लाइव फीड का विक्रय संबंधी ब्यौरा (इसमें जिसे विक्रीत किया गया है, उसका नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या की सूचना सम्मिलित होगी) (तटीय जलकृषि प्राधिकरण/सरकार द्वारा जारी हैचरी/इकाइयों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी)

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

[फा. सं. जे-1903336/2/2024- DOF (ई -23648)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2025

S.O. 3982(E).—In pursuance of the provisions of section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), read with clause (n) of rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby make the following guidelines for regulating live feed culture units and management in coastal aquaculture, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These guidelines may be called the Guidelines for Live Feed Culture Units and Management in Coastal Aquaculture, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application criteria for live feed units.-** (1) Live feed units engaged or intending to be engaged in the production of live feed having the required biosecurity facilities and in-house quarantine facility as specified under paragraph 10 of these Guidelines, shall be eligible to apply for registration in accordance to the provisions of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) (hereinafter referred as the said Act) and the rules made thereunder, to produce and sell live feed for coastal aquaculture units.

(2) The unit operator shall submit an application in the prescribed Form II of the said rules, to the Authority, duly enclosing the required documents as specified in Schedule II of the said rules, and payment of a registration fee of rupees ten thousand for registration of live feed unit in accordance with the procedure prescribed in rule 9 of the said rules.

(3) A detailed project report indicating the infrastructure, bio-security measures, production capacity, technology support, employment generation, the economics of operation, etc., shall be submitted along with the application.

(4) Approval of the unit for live feed production shall be given by the Authority after due inspection of the unit by a team constituted by the Authority for this purpose in accordance with the procedure laid down in rule 11 of the said rules.

3. **Selection of suitable live feeds.-** (1) Phytoplankton (different species of microalgae), zooplankton (rotifers, Artemia, copepods, amphipods) and polychaete worms may be considered as live feeds.

(2) Identification of species shall be done scientifically morphologically and molecular tools using standard procedure and the record of the same shall be kept properly.

(3) Live feeds that match the size and nutritional requirements of the candidate species shall be chosen for its different life stages.

4. Site selection.- (1) The live feed units are to be preferably located near the hatcheries or farming sites and they shall be isolated from the other production facilities in view of bio-security reasons.

(2) Where the live feed units are located in separate locations, care shall be taken to avoid entry of pathogens and cross contamination.

(3) There shall be adequate quality water and parameters shall be maintained in accordance with paragraph 4 of the Guidelines for Regulating Coastal Aquaculture notified vide S.O. 1496(E), dated the 20th March, 2024.

5. Requirements for live feed culture units.- (1) Culture tanks or containers or carboys or flasks made of Fibre Reinforced Plastic cement or Reinforced Cement Concrete or glass or plastic or High-Density Polyethylene or Polyethylene or Polyvinyl Chloride shall be used for the live feed culture.

(2) Indoor, intermediate and outdoor culture units for microalgae shall be made.

(3) The stock culture room for live feeds for maintaining pure stocks shall be made.

(4) Separate culture units to avoid cross-contamination (such as microalgae and rotifers) shall be made.

(5) Proper aeration, temperature control, and lighting conditions to optimize the growth of live feed shall be made.

6. Water quality management.- (1) Regular monitoring of water quality parameters, including temperature, pH, salinity, and dissolved oxygen for optimal levels in accordance with paragraph 4 of the Guidelines for regulating coastal aquaculture to support live feed growth shall be ensured.

(2) The water used for the live feed culture shall be treated or filtered properly using sand filters, cartridge filters and Ultraviolet filters.

(3) The filtered water shall be sterilized, ozonized, and de-ozonized for indoor or stock cultures.

7. Water discharge protocols for live feed units.- (1) In case of any crashed cultures from outdoor units or outbreak of diseases, the culture water shall be chlorinated and dechlorinated before release into the drainage system.

(2) The units shall not discharge wastewater directly to open water bodies.

(3) Wastewater shall be retained in the effluent treatment system for a minimum period of two days.

8. Culture conditions.- (1) Nutrients to support the growth of live feeds (especially microalgae) typically through the addition of nutrient media in consultation with the Fisheries officials or Scientists of ICAR/CSIR/Government Institutes shall be ensured.

(2) Nutrient levels as recommended by the Fisheries officials or Scientists of Indian Council of Agricultural Research or Council of Scientific and Industrial Research or Government Institutes shall be maintained to avoid overgrowth of harmful microorganisms.

(3) Appropriate light sources and photoperiods as recommended by the Fisheries officials or Scientists of Indian Council of Agricultural Research or Council of Scientific and Industrial Research or Government Institutes shall be arranged to promote the growth of microalgae or other live feeds in the culture system.

(4) Light intensity and duration based on the specific requirements of the microalgae species as recommended by the Fisheries officials or Scientists of Indian Council of Agricultural Research or Council of Scientific and Industrial Research or Government Institutes shall be maintained.

(5) Appropriate stocking density of live feeds as recommended by the Fisheries officials or Scientists of Indian Council of Agricultural Research or Council of Scientific and Industrial Research or Government Institutes to prevent overcrowding (especially polychaete worms not exceeding 0.5 kg/m^2) shall be maintained.

(6) Prohibited pharmacologically active substances and antimicrobial agents as prescribed under sub-rule (1) (c) of rule 18 of the said rules shall not be used in the production system.

9. Health monitoring.- (1) Regular monitoring of health parameters and density for the live feed culture as recommended by the Fisheries officials or Scientists of Indian Council of Agricultural Research or Council of Scientific and Industrial Research or Government Institutes, shall be done to regulate the contamination or overgrowth of unwanted organisms.

(2) Microscopic examinations shall be done to assess the quality and size of the live feeds.

(3) Dedicated technical persons shall be engaged to handle the live feed unit.

10. In-house quarantine facility.- (1) Vehicle shall pass through tyre bath at the hatchery or live feed unit premises before reaching the receiving point.

(2) The entire consignment shall be unloaded at the in-house quarantine facility.

(3) All the personnel involved in unloading must disinfect their hands, apron, coat and shoes before and after unloading.

(4) The quarantine section shall have sufficient space for the maintenance of cultured live feed.

(5) The species contaminated with pathogens shall not be used for culture.

(6) The isolates of live feeds or wild collected samples (eg. Microalgae, rotifers, copepods, amphipods and polychaete worms) shall be screened for pathogens as listed by World Organization for Animal Health and pathogens of concern to India in the in-house quarantine facility.

(7) As specific pathogen free polychaete is recommended to avoid infections in the cultures, the polychaete used in the aquaculture as live feed shall be free from all world organization for animal health listed pathogens and pathogens of concern to India.

(8) The sample shall be referred to aquatic quarantine facility laboratory at Neelankarai or Indian Council of Agricultural Research – Central Institute of Brackishwater Aquaculture laboratory or any other accredited laboratory for testing of relevant pathogens of concern to India.

(9) In the event of detection of any relevant pathogen, the sample shall be sent to Indian Council of Agricultural Research – Central Institute of Brackishwater Aquaculture as a referral lab for validation or confirmation.

(10) In case of confirmation, the unit operator shall destroy the infected stock and incinerate for containment of the spread of the infection under intimation to the Authority.

11. Quality control and biosecurity.- (1) The quality of the live feeds by regularly testing for their nutritional content shall be ensured based on the requirement culture conditions.

(2) Live feeds shall be stored properly to maintain their quality between harvests.

(3) Biosecurity for the live feed culture system shall be implemented in consultation with the Fisheries officials or Scientists of Indian Council of Agricultural Research or Council of Scientific and Industrial Research or Government Institutes.

12. Harvesting Techniques.- (1) Gentle harvesting methods shall be used to avoid damaging or stressing the live feeds.

(2) Live feeds shall be harvested at the appropriate stage of development to ensure they are nutritionally suitable for the candidate species of different life stages.

(3) Live feed produce shall be sold to the Coastal Aquaculture Authority registered hatcheries or units and the Government approved units only.

13. Maintenance of records.- (1) Unit operators shall maintain records on procurement or import of live feed, stocking density, water quality parameters, feeding quantities, health management, growth parameters, inputs used, harvesting and marketing details etc., and report these in their quarterly compliance report to be submitted to the Authority in Form N-1 of these Guidelines.

(2) Unit operator shall produce the records on demand by the authorised personnel or officials.

14. Penalty for violation.- If any unauthorised live feed production or any other practice is noticed during the inspection of the units by the inspection team of the Authority, the inspection team may confiscate, dispose of or destroy the stock including imposing penalties as prescribed under section 14 of the said Act, as it thinks fit.

Form N-1

[See Paragraph 13(1)]

Format for quarterly compliance report from live feed units

The report shall contain the following information, namely:-

1. Name and Address of the unit

2. Date and number of certificate of registration and permission to import

3. Source of pure/stock culture procured/imported

4. Quantity of pure/stock culture procured/imported (ml/lt/kg/gm/mt)

5. Transport mortality (%)

6. Quarantine mortality (%)

7. Total number of cycles/batches

8. Total quantity of pure/stock culture produced (ml/lt/kg/gm/mt)

9. Report on general aquatic health monitoring and any unusual mortality/under production

10. Total quantity of pure/stock culture sold (ml/lt/kg/gm/mt)

11. Details of the live feed sales (shall include information on the name, address, registration number to whom sold) (copy of the registration certificate of hatcheries/units issued by Coastal Aquaculture Authority/Govt. shall be enclosed)

Place:

Signature

Date: Name of the authorised signatory

[F. No. J-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.02 12:26:12 +05'30'